

परिचय

इस मैनुअल के बारे में, परिभाषाएँ, संक्षेप सूत्र कार्यालय

भाग-1

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	परिचय- इस मैनुअल के बारे में, परिभाषाएं, संक्षेप सूत्र कार्यालय	
2.	मैनुअल-1 : संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	
3.	मैनुअल-2 : अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ।	
4.	मैनुअल-3 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण के माध्यम सम्मिलित हैं ।	
5.	मैनुअल-4 : कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	

संक्षेप:

मैनुअल में निम्न लिखित संक्षेप प्रयोग में लाए गए हैं:—

सी.ए.पी.	(CAP)	समुदायिक कार्य योजनाएं
सी.ए.पी.डब्लू.	(CAPW)	जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा कार्य
सी.बी.ओ.	(CBO)	समुदाय आधारित संगठन
सी.डी.ओ.	(CDO)	मुख्य विकास अधिकारी
सी.डी.एस.	(CDS)	समुदाय विकास विशेषज्ञ
सी.डी.एस.	(CDS)	सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट स्टडीज, नैनीताल
सी.एफ.	(CF)	समुदाय सुविधायें
सी.डब्लू.	(CW)	समुदाय कार्यकर्ता
डी.पी.एम.यू.	(DPMU)	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
एफ.सी.	(FC)	वित्त समिति
एच.ई.एस.ए.	(HESA)	स्वास्थ्य एवं पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता
आई.बी.आर.डी.	(IBRD)	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास दरें
आई.एम.डी.यू.पी.	(IMDUP)	प्रबन्ध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश
जे.ई.	(JE)	कनिष्ठ अभियन्ता
के.ए.पी.	(KAP)	ज्ञान दृष्टि और व्यवहार
एम.व. ई.	(M&E)	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
एम.आई.एस.	(MIS)	प्रबन्ध सूचना प्रणाली
एन.एफ.ई.	(NFE)	अनौपचारिक शिक्षा
एन.जी.ओ.	(NGO)	गैरसरकारी संगठन
ओ. एण्ड एम.	(O&M)	संचालन व रख-रखाव
पी.एम.यू.	(PMU)	परियोजना प्रबन्धन इकाई
एस.ए.	(SA)	सहयोगी संस्था
एस.ई.	(SE)	वरिष्ठ अभियन्ता
एस. ई. ई.	(SEE)	स्थायित्व मूल्यांकन अभ्यास
एस. ओ.	(SO)	सहयोगी संगठन
एस.एस.एस.	(SSS)	स्वजल सहेली समूह
टी.एल.	(TL)	टोली नेता
टी.ओ.टी.	(TOT)	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
यू.पी.ए.ए.	(UPAA)	उत्तरप्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल
यू.पी.आर.डब्लू.एस.ई.एस.	(UPRWSES)	उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता
यू.ए.आर.डब्लू.एस.ई.एस.	(UARWSES)	उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता
वी.डब्लू.एस.सी.	(VWSC)	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्लू.डी.आई.	(WDI)	महिला विकास पहल

इस मैनुअल के बारे में.....

ज्ञान सदा से ही मनुष्य को शक्ति व सामर्थ प्रदान करने का एक बड़ा स्रोत रहा है। संपूर्ण जानकारीयों से सम्पन्न नागरिक सार्वजनिक हित के लिये कार्य करने वाले संगठनों और संस्थानों के संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। सेवायें प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया की सही जानकारी के चलते ही इस ओर जनता की भागीदारी के आसार बढ़ जाते हैं। सूचना तक पहुंच सुशासन पारदर्शिता, उत्तरदेयता और भागीदारी को बनाने में चट्टान जैसी मजबूत नींव का कार्य करती है।

सूचना पाने का अधिकार ऐसा उपकरण है जिसके अन्तर्गत सरकारी कामकाज करने के तरीकों विशेष रूप से नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से सम्बन्धित कार्य करने के विषय में ज्यादा पारदर्शिता प्रदान करता है। अतः सूचना पाने का अधिकार अधिनियम-2005 की मूलभूत भावना को दृष्टि में रखते हुए, यह स्वीकार किया है कि नागरिकों को एक ऐसी मैनुअल उपलब्ध कराई जाए जिससे वे स्वजल परियोजना की दृष्टि और संगठनात्मक संरचना तथा स्वजल परियोजना द्वारा सम्पन्न कराई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं विषयक सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वजल परियोजना जैसे समुदायों द्वारा प्रेरित अधिक जन भागीदारी वाले कार्यक्रमों के लिये ऐसा करना और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता। इस मैनुअल में स्वजल परियोजना की सारी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। मैनुअल में स्वजल परियोजना की निम्नलिखित जानकारी उसके भिन्न-भिन्न अध्यायों में उपलब्ध कराई गई है।

- ✓ संगठन के कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा।
- ✓ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकार और उत्तरदायित्व।
- ✓ नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल और कार्यों को सम्पादित करने के लिए आलेख।
- ✓ नीति तैयार करने के सम्बन्ध में अथवा उसके क्रियान्वयन के बारे में जनता के सदस्यों अथवा उसके प्रतिनिधियों के विषय में परामर्श करने के प्रबन्धों का ब्यौरा।
- ✓ उन प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने पास अथवा अपने नियन्त्रण में रखा जाएगा।
- ✓ उन मंडलों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों का ब्यौरा जो इसके अंग स्वरूप गठित की जाएगी।
- ✓ सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनका अन्य ब्यौरा।
- ✓ अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशावली।
- ✓ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक वृत्ति, जिसमें विनियमों में निहित क्षतिपूरण प्रदेय प्रणाली भी सम्मिलित है।
- ✓ प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजटराशियां (सभी योजनाओं, उनपर प्रस्तावित व्यय और भुगतान की गई राशियों की रिपोर्टों का ब्यौरा)
- ✓ उपदान कार्यक्रमों को पूरा करने का मानक।

- ✓ अपने कार्यों को सम्पादित कराने के विषय में निर्धारित किए सामान्यक।
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध जानकारी।
- ✓ जानकारी प्राप्त के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा।

आशा की जाती है कि उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समितियों, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लोग, गैरसरकारी संगठन, पर्यावरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकी प्रोत्साहन से सम्बद्ध संस्थान, इन जानकारीयों से लाभान्वित होंगे।

परिभाषाएं:

इस परिषद के नियमों, यदि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो तो:—

- (अ) अधिनियम” का अर्थ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम सं० XXI) है।
- (आ) 1) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) अथवा समिति का अर्थ उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (स्वजल परियोजना) होगा।
- (2) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्लू.एस.एम.) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को क्रियान्वित करेगा तथा जिला स्तर पर ग्रामीण जल एवं स्वच्छता सेक्टर (आर.डब्लू.एस.एम.) को प्रबन्धन तथा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता देगा। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) को प्रतिदिन आयोजित कार्यों में सचिवालयी और कार्यगत सहायता कराएगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्लू.एस.एम.) दोनों समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों से विनियमित होंगे।
- (इ) ‘कार्यकारी समिति’ का अर्थ समिति द्वारा नियम 12 के अधीन गठित की गई ‘कार्यकारी समिति’ होगा।
- (ई) ‘अध्यक्ष’ का अर्थ नियम 19 में उल्लेखित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) का अध्यक्ष होगा।
- (उ) ‘कार्यकारी सचिव’ का अर्थ नियम 18 में उल्लेखित कार्यकारी सचिव है। उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति व पर्यावरण स्वच्छता मिशन के निदेशक ही राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) के कार्यकारी सचिव होंगे।
- (ऊ) ‘निदेशक’ का अर्थ राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एस.डब्लू.एस.एम. का कार्यकारी सचिव है, जिसे नियम 20 के अधीन उत्तराखण्ड शासनद्वारा नियुक्त किया गया हो।
- (ऋ) ‘राज्य शासन’ का अर्थ उत्तराखण्ड राज्य का शासन है।
- (ए) सचिवालय का अर्थ राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) के सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

- (ऐ) परियोजना का अर्थ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता मिशन है जैसा कि उस राज्य शासन द्वारा बनाया गया है तथा उसमें परियोजना, जैसा कि उसे समय-समय पर की गई सभी समीक्षाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा संशोधित और परिवर्तित किया गया हो सम्मिलित हैं।
- (ओ) 'पेयजल एवं स्वच्छता विभाग' का अर्थ उत्तराखण्ड शासन के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है।
- (औ) एक वचन सूचक संख्या में बहुवचन सूचक संख्यायें सम्मिलित होंगी।
- (अ) पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित माना जाए।
- (अः) 'पात्र ग्राम समुदाय' का अर्थ ऐसा गांव या बसावट है जिसको पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता योजना की आवश्यकता हो और जो उस योजना की लागत में भागीदारी की भी इच्छा रखते हों ताकि यह योजना जो प्राविधिक और आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी और दीर्घकाल तक चलने वाली हो।

स्वजल परियोजना की जानकारी तक पहुंच

- 1— पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने विज्ञप्ति सं. 2791/उन्नीस/05-2(पी.ई.वाई.)/2005 दिनांक 27 जुलाई 2005 द्वारा परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (जे) के अधीन सार्वजनिक एजेंसी घोषित किया है।
 - 2— पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड ने विज्ञप्ति सं. 2794/उन्नीस/05-2 (पी.ई.वाई.)/2005 दिनांक 27 जुलाई 2005 द्वारा निदेशक, स्वजल परियोजना, परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को (सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन अधिकार घोषित किया है।
 - 3— सूचना पाने का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अधीन निदेशक, स्वजल परियोजना ने अपने कार्यालय आदेश सं0 636/वी.-146/2005 दिनांक 6 अगस्त 2005 द्वारा विभागीय अपील अधिकारियों सहित सार्वजनिक सूचना राज्य और जिला स्तरों पर सार्वजनिक कार्यालयों में अधिकार घोषित किए हैं।
- इससे अधिक और अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए क्या करें?
- इस मैनुअल में लिए गए विषयों पर और अधिक तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए निम्न सूची में बताए व्यक्तियों से सम्पर्क करें:-

ब- राज्य स्तर

क्रमांक	अपीलीय अधिकारी	दूरभाष संख्या
1.	इकाई समन्वयक (संचालन और सामाजिक विकास) उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, 67/4-1, प्रीतम रोड, निकट राजकीय गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001	फोन न0-0135-2653380

स- राज्य स्तर

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष संख्या
1.	इकाई समन्वयक (तकनीकी) उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, 67/4-1, प्रीतम रोड, निकट राजकीय गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001	फोन न0-0135-2653380

स- जनपद स्तर

क्रमांक	अपीलीय अधिकारी	दूरभाष संख्या
1.	इकाई समन्वयक (तकनीकी) उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, 67/4-1, प्रीतम रोड, निकट राजकीय गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001	फोन न0-0135-2653380

द- जनपद स्तर

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष संख्या
1.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, अल्मोड़ा-263601	फोन नम्बर-05962-232523, 232524
2.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, खेतवाल भवन, ब्लॉक रोड, कठायतबाड़ा, बागेश्वर-263642	फोन नम्बर-05963-220248
3.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जी.आई.सी. रोड, कनल गांव चम्पावत।	फोन नम्बर-05965-211044
4.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, भूतल, निकट हनुमान मन्दिर, क्लैक्ट्रेट परिसर, गोपेश्वर, चमोली-246401	फोन नम्बर-01372-322708
5.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, सर्वे चौक विकास भवन, देहरादून-248001	फोन- 01376-233948
6.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, प्रथम तल रोशनाबाद हरिद्वार-249403 फोन नम्बर-01334-239023	फोन-01374-223403

7.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, प्रथम तल, भेषज विकास इकाई, भीमताल नैनीताल-263136	फोन नम्बर-05942-247272
8.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- पौड़ी गढ़वाल-246001	फोन नम्बर-01368-222332
9.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, टकाना रोड, पिथौरागढ़-262501	फोन नम्बर-05964-264107
10.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- रुद्रप्रयाग-246171	फोन नम्बर-01364-233492
11.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परिसर, विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।	फोन नम्बर-01376-233948
12.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, भू-तल, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर- 263153	फोन : 05963 220248
13.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, कोषागार रोड, विकास भवन, उत्तकाशी-249193	फोन नम्बर-01374-222468